मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-13/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों के निवास पर दूरभाष/मोबाईल सुविधा ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-20/2004/नियम/चार, दिनांक 24-12-2004, 13-12-2007 एवं दिनांक 11 मार्च 2010.

—◆—

शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में पारस्परिक संवाद में मोबाईल/इंटरनेट आदि जैसे संचार साधनों की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप शासकीय सेवकों के द्वारा ऐसे संचार साधनों के शासकीय कार्यों में उपयोग करने पर हो रहे व्ययों की प्रतिपूर्ति की माँग होती रही है ।

2/ अतः राज्य शासन द्वारा उदारतापूर्वक विचार करते हुये निवास पर संयोजित दूरभाष अथवा व्यक्तिगत मोबाईल आदि के लिए न केवल पात्रता का निर्धारण अपितु प्रतिपूर्ति की पात्रता में वृद्धि का निर्णय लिया है ।

3/ निवास पर स्थापित दूरभाष अथवा व्यक्तिगत मोबाईल उपयोग में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान में पात्रता श्रेणियाँ नहीं हैं । अतः उपर्युक्त निर्णय के क्रम में शासकीय सेवकों की पात्रता श्रेणी तथा अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	श्रेणी	निर्धारित मासिक अधिकतम सीमा (दूरभाष, मोबाईल, इन्टरनेट सहित)
1.	ग्रेड वेतन ₹ 10,000 एवं अधिक.	₹ 2800/-
2.	ग्रेड वेतन ₹ 7600 से अधिक एवं ₹ 8900 तक.	₹ 1500/-
3.	ग्रेड वेतन ₹ 6600 एवं ₹ 7600 .	₹ 800/-

PTO

- **ग्रेड वेतन का आशय मूल पद के ग्रेड वेतन से है । उपर्युक्त पात्रता का आशय यह नहीं है कि पात्र शासकीय सेवकों को शासन के व्यय पर दूरभाष/मोबाईल दिया जाना है ।**

- **जिलाध्यक्ष/जिला पुलिस अधीक्षक/रेंज उप महानिरीक्षक का यदि ग्रेड वेतन ₹ 10,000/- से कम है तब उनके दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट व्यय की अधिकतम सीमा ₹ 1750/- प्रतिमाह तथा ₹ 14,000/- प्रतिवर्ष होगी ।**

4/ उपर्युक्त अनुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु शासकीय सेवक द्वारा उपयोग किए जा रहे दूरभाष तथा मोबाईल के नंबर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किए जाने होगें तथा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु उपलब्ध देयक अथवा पृथक से प्रमाण पत्र दिया जाना होगा । लैण्ड लाईन दूरभाष तथा पोस्ट पेड मोबाईल की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि यह शासकीय सेवक के नाम से हो।

5/ उपर्युक्त निर्धारित व्यय सीमा में मासिक नियत प्रभार, मीटर काल चार्जेस, टेक्सेस का व्यय आदि समस्त प्रभार सम्मिलित हैं ।

6/ **संदर्भित आदेशों को एतद् द्वारा अधिक्रमित किया जाता है ।**

7/ यह आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-13/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग